

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

बी.ए. द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर-IV) परीक्षा, जून-2025 (नियमित)

विषय: भारतीय राजव्यवस्था (INDIAN POLITICAL SYSTEM)

पूर्णांक: 70 समय: 3 घंटे

सामान्य निर्देश:

1. इस प्रश्न-पत्र के दो भाग हैं: भाग-अ और भाग-ब।
2. भाग-अ के सभी दस प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। (10 x 2 = 20 अंक)
3. भाग-ब में कुल दस प्रश्न हैं। किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से कम-से-कम एक प्रश्न का चयन करना अनिवार्य है। उत्तर सीमा 400 शब्दों से अधिक। (5 x 10 = 50 अंक)

भाग-अ (अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न) (20 अंक)

(उत्तर सीमा: अधिकतम 50 शब्द प्रति प्रश्न)

1. भारतीय संविधान के 'भाग III' का संबंध किससे है?
2. 'संविधान की प्रस्तावना' में दिए गए किन्हीं दो आदर्शों का उल्लेख कीजिए।
3. 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) से आप क्या समझते हैं?
4. 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (DPSP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
5. भारत में 'राष्ट्रपति' की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं?
6. 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा दीजिए।
7. 'धर्मनिरपेक्षता' (Secularism) से क्या तात्पर्य है?
8. 'मुख्यमंत्री' की दो प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
9. 'भारतीय संघवाद' की किन्हीं दो विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
10. 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) से क्या अभिप्राय है?

भाग-ब (निबंधात्मक/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न) (50 अंक)

(किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से कम-से-कम एक प्रश्न अनिवार्य। उत्तर सीमा: 400 शब्दों से अधिक)

इकाई-I: संवैधानिक ढाँचा और अधिकार (10 अंक)

1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

इकाई-II: संघ और राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका (10 अंक)

3. भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि वह 'मंत्रिमंडल के मुख्य आधारशिला' हैं?
4. भारतीय संसद की शक्तियों एवं भूमिका पर एक निबंध लिखिए।
5. राज्य विधानमंडल (विधानसभा) के संगठन, शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए।

इकाई-III: न्यायपालिका, संघवाद और राजनीतिक गतिशीलता (10 अंक)

6. भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं?
7. 'भारतीय संघवाद' की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। क्या भारत एक 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) का उदाहरण है?
8. भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका और उनके समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए।
9. 'क्षेत्रवाद' (Regionalism) भारतीय राजनीति के लिए एक वरदान है या अभिशाप? आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।
10. 'पंचायती राज व्यवस्था' के प्रमुख उद्देश्यों और संरचना पर प्रकाश डालिए।

मॉडल प्रश्न-पत्र की उत्तर कुंजी (विस्तृत उत्तर)

भाग-अ के उत्तर (अति लघु उत्तरात्मक)

1. भारतीय संविधान के 'भाग III' का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के भाग III का संबंध नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) से है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ये अधिकार राज्य की मनमानी शक्ति पर सीमाएँ लगाते हैं और न्यायोचित (न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय) हैं।
2. 'संविधान की प्रस्तावना' में दिए गए किन्हीं दो आदर्शों का उल्लेख कीजिए। प्रस्तावना में दिए गए दो प्रमुख आदर्श हैं:
 - न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।
 - स्वतंत्रता (Liberty): विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना।
3. 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) से आप क्या समझते हैं? यह न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करती है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो न्यायपालिका उन्हें अवैध (शून्य) घोषित कर सकती है।
4. 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (DPSP) का मुख्य उद्देश्य क्या है? DPSP का मुख्य उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना है। ये तत्व सरकार के लिए निर्देश के रूप में कार्य करते हैं कि वे कानून बनाते समय सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दें तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें।
5. भारत में 'राष्ट्रपति' की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं? राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं:
 - राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।
 - राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर।
 - वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): देश में वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर।
6. 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा दीजिए। धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसका संबंध केवल राजस्व (कराधान), सरकारी व्यय, ऋण लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से भुगतान आदि विषयों से होता है। इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है और यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
7. 'धर्मनिरपेक्षता' (Secularism) से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। भारत में, यह सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और सुरक्षा की नीति का पालन करता है, जहाँ राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहकर सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है।
8. 'मुख्यमंत्री' की दो प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
 - मंत्रिपरिषद् का निर्माण: मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है और उन्हें विभिन्न विभागों का आवंटन करता है।
 - मंत्रिपरिषद् का नेतृत्व: वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और मंत्रिपरिषद् के निर्णयों को प्रभावित करता है।
9. 'भारतीय संघवाद' की किन्हीं दो विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

- लिखित एवं कठोर संविधान: यह संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को सुनिश्चित करता है।
 - दोहरी शासन प्रणाली: इसमें संघ (केंद्र) और राज्य स्तर पर दो स्वतंत्र सरकारें मौजूद हैं।
10. 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) से क्या अभिप्राय है? संसदीय विशेषाधिकार वे अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनके सदस्यों और समितियों को प्राप्त होते हैं। ये विशेषाधिकार संसद को उसके कार्यों को कुशलतापूर्वक और स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने में सक्षम बनाते हैं, जैसे सदन में कही गई बातों पर कानूनी कार्यवाही से छूट।

भाग-ब के उत्तर (निबंधात्मक/दीर्घ उत्तरीय)

इकाई-1: संवैधानिक ढाँचा और अधिकार

1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए।

भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, विश्व का सबसे विस्तृत और विशिष्ट संविधान है। इसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, लेकिन इसकी मौलिक संरचना और भावना अपरिवर्तित रही है।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ:

1. विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान: मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की विशालता का कारण केंद्र और राज्य दोनों के लिए विस्तृत प्रावधान, मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण तथा केंद्र-राज्य संबंधों का स्पष्ट उल्लेख है।
2. लचीलेपन और कठोरता का समन्वय: संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान अत्यधिक लचीली है और न ही अमेरिका के समान अत्यधिक कठोर। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से, और कुछ विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की सहमति से संशोधित होते हैं।
3. एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघवाद: भारत एक संघीय राज्य है, जिसमें दोहरी शासन प्रणाली, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका है। हालांकि, आपातकाल के दौरान या राज्यपाल की नियुक्ति जैसे प्रावधानों के कारण यह केंद्र की ओर अधिक झुकाव रखता है।
4. संसदीय शासन प्रणाली: भारत ने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली अपनाई है। इसमें कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें नाममात्र का मुखिया (राष्ट्रपति) और वास्तविक मुखिया (प्रधानमंत्री) होते हैं।
5. मौलिक अधिकार और कर्तव्य: संविधान का भाग III नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार (जैसे समानता, स्वतंत्रता) प्रदान करता है, जो न्यायोचित हैं। 42वें संशोधन (1976) द्वारा नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया।
6. राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP): भाग IV में DPSP शामिल हैं, जो सरकार को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश देते हैं।
7. स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका: भारत में न्यायपालिका की संरचना एकीकृत है (सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है), और यह कार्यपालिका तथा विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 'न्यायिक पुनरावलोकन' जैसी शक्ति का प्रयोग करती है।
8. धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State): 42वें संशोधन द्वारा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया। भारत का राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव रखता है।
9. सार्वभौम वयस्क मताधिकार: सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त है।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज है। यह विभिन्न देशों के सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक विचारों का मिश्रण है, जिसे भारतीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है, जो देश की एकता, विविधता और लोकतंत्र को मजबूत करता है।

2. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं और राज्य की शक्ति को सीमित करके स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार (6 प्रमुख अधिकार):

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ (जैसे वाक् और अभिव्यक्ति, सभा, संघ बनाने की स्वतंत्रता), अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24): मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध, तथा कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध।
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28): अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30): अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): इस अधिकार को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है (रिट जारी करने की शक्ति)।

मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विश्लेषण:

सकारात्मक पहलू (महत्व):

1. लोकतंत्र की स्थापना: ये अधिकार सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
2. व्यक्ति का विकास: ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित करते हुए उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।
3. न्यायपालिका का आधार: ये न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है।

नकारात्मक पहलू (सीमाएँ/आलोचना):

1. असीमित नहीं: ये अधिकार निरंकुश या असीमित नहीं हैं। राज्य इन पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा के आधार पर "युक्तियुक्त प्रतिबंध" (Reasonable Restrictions) लगा सकता है, जिससे इनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
2. निलंबन का प्रावधान: आपातकाल (विशेष रूप से राष्ट्रीय आपातकाल) के दौरान, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जिससे उनकी शाश्वत प्रकृति पर प्रश्नचिह्न लगता है।
3. स्पष्टता का अभाव: अधिकारों के कई शब्द (जैसे 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'युक्तियुक्त प्रतिबंध') अस्पष्ट हैं, जिनकी व्याख्या अंततः न्यायपालिका द्वारा की जाती है।
4. आर्थिक अधिकारों की कमी: इसमें सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर तो जोर है, लेकिन रोजगार, सामाजिक सुरक्षा या काम के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार शामिल नहीं हैं।

निष्कर्ष: आलोचनाओं के बावजूद, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार देश के नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के सर्वोत्तम रक्षक हैं। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन्हें केवल कागजी दस्तावेज न बनाकर, वास्तविकता में लागू करने योग्य बनाता है, जो भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि है।

इकाई-II: संघ और राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका

3. भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि वह 'मंत्रिमंडल के मुख्य आधारशिला' हैं?

भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। वह न केवल मंत्रिमंडल का नेता होता है, बल्कि राष्ट्र का भी मुख्य प्रवक्ता होता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य:

1. मंत्रिपरिषद् से संबंधित:

- मंत्रिमंडल का गठन: प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है और उनके विभागों का आवंटन करता है।
- नीति निर्धारण: वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभाता है।
- समन्वय: वह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।

2. राष्ट्रपति के संबंध में:

- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संचार की मुख्य कड़ी होता है। वह प्रशासन और विधान से संबंधित सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है।
- वह विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकारियों (जैसे अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त) की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।

3. संसद से संबंधित:

- वह संसद के सत्रों को बुलाने और सत्रावसान करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- वह लोकसभा का नेता होता है और संसद के पटल पर सरकार की नीतियों और निर्णयों की घोषणा करता है।

4. राष्ट्र के नेता के रूप में:

- वह राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करता है।
- वह राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् और नीति आयोग जैसे महत्वपूर्ण निकायों का अध्यक्ष होता है।

क्या प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मुख्य आधारशिला हैं?

हाँ, यह कथन पूर्णतया सत्य है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मुख्य आधारशिला (Chief Cornerstone of the Cabinet) हैं।

- निर्माणकर्ता: मंत्रिमंडल का जन्म प्रधानमंत्री के चयन से होता है। वह तय करता है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं।
- जीवनदाता: प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद् स्वतः ही भंग हो जाती है।
- नियंत्रक: प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन, पुनर्गठन या उनसे विभाग वापस लेने की शक्ति रखता है।
- मार्गदर्शक: वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सभी एजेंडा तय करता है और अंतिम निर्णय में उसकी राय निर्णायक होती है।

प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि "प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मुख्य आधारशिला हैं।" निष्कर्षतः, प्रधानमंत्री का पद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली है। वह न केवल सरकार का प्रमुख है, बल्कि उसकी शक्तियाँ इतनी विशाल हैं कि राजनीतिक विश्लेषक इसे 'प्रधानमंत्री शासन' भी कहते हैं, खासकर तब जब वह बहुमत वाली पार्टी का निर्विवाद नेता हो।

4. भारतीय संसद की शक्तियों एवं भूमिका पर एक निबंध लिखिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ की संसद में राष्ट्रपति और दो सदन (राज्य सभा तथा लोक सभा) शामिल हैं। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखती है।

संसद की शक्तियाँ और कार्य:

1. विधायी शक्तियाँ (Law Making Powers):

- संसद का प्राथमिक कार्य संघ सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाना है।
- यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में विरोधाभास हो, तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है।
- अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) भी संसद में ही निहित हैं।

2. कार्यपालिका पर नियंत्रण (Executive Control):

- संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- संसद विभिन्न उपकरणों (जैसे प्रश्न काल, शून्य काल, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव) के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करती है और उसे उत्तरदायी बनाती है।

3. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers):

- संसद (विशेष रूप से लोकसभा) का देश के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है।
- कार्यपालिका तब तक एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती जब तक कि संसद बजट पारित करके उसे प्राधिकृत न कर दे (विनियोग विधेयक)। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. संवैधानिक शक्तियाँ (Constitutional Powers):

- संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है (केवल 'मूल संरचना' को छोड़कर, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है)।
- संशोधन विधेयक दोनों सदनों में समान रूप से पारित होना आवश्यक है।

5. न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers):

- संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है।
- यह अपने सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को विशेषाधिकार हनन के मामले में दंडित कर सकती है।

संसद की भूमिका:

- विचार-विमर्श का मंच: संसद देश के समक्ष मौजूद सभी महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक बहस और चर्चा का मंच प्रदान करती है।
- प्रतिनिधित्व: संसद देश के विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे कानून और नीतियां समावेशी बनती हैं।
- शिकायत निवारण: यह जन शिकायतों और मांगों को सरकार तक पहुँचाने का मुख्य मंच है।

निष्कर्ष: भारतीय संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है; यह भारतीय लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। हालांकि, हाल के वर्षों में इसकी कार्यप्रणाली पर बहस के कम होने और शोरगुल के बढ़ने की आलोचना हुई है, फिर भी यह देश की सर्वोच्च संस्था बनी हुई है जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है।

5. राज्य विधानमंडल (विधानसभा) के संगठन, शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए।

भारतीय संविधान के भाग VI में राज्य विधानमंडल (State Legislature) का प्रावधान है। अधिकांश राज्यों में विधानमंडल एकसदनीय है, जिसे विधानसभा (Legislative Assembly) कहते हैं, जबकि कुछ राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र) में यह द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद (Legislative Council) भी शामिल है।

विधानसभा का संगठन (Composition):

1. सदस्य संख्या: विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है (अपवाद: गोवा, सिक्किम, मिजोरम)।
2. चुनाव: सदस्यों का चुनाव सीधे राज्य के मतदाताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।

3. योग्यताएँ: सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक होना और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ आवश्यक हैं।
4. कार्यकाल: सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर इसे पहले भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य:

1. विधायी शक्तियाँ (Law Making Powers):

- विधानसभा मुख्य रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाती है।
- सामान्य विधेयकों के मामले में, विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि परिषद केवल 4 महीने तक ही विधेयक को रोक सकती है।

2. कार्यपालिका पर नियंत्रण (Executive Control):

- राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को हटा सकती है।
- सदस्य प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण रखते हैं।

3. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers):

- राज्य का वार्षिक बजट (वित्त विधेयक) केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में बहुत सीमित शक्तियाँ हैं; वह इसे 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती। राज्य सरकार का कोई भी व्यय विधानसभा की अनुमति के बिना नहीं हो सकता।

4. संवैधानिक शक्तियाँ (Constitutional Powers):

- विधानसभा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करती है।
- वह संसद द्वारा पारित किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों (जैसे केंद्र-राज्य शक्तियों से संबंधित) के लिए अपनी सहमति (अनुसमर्थन) प्रदान करती है।

5. निर्वाचन संबंधी कार्य:

- विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं।
- यह अपने अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव करती है।

निष्कर्ष: विधानसभा राज्य स्तर पर लोकतंत्र का केंद्र है। यह न केवल राज्य के लिए कानून बनाती है, बल्कि मंत्रिपरिषद को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखने का प्राथमिक साधन भी है। इसकी शक्तियाँ राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

इकाई-III: न्यायपालिका, संघवाद और राजनीतिक गतिकी

6. भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं?

भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया है ताकि वह बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय कर सके और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान:

1. नियुक्ति की प्रक्रिया:

- उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की मनमानी को रोकने के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' विकसित की गई है, जिसमें न्यायपालिका की सलाह को महत्व दिया जाता है।

2. सुरक्षित कार्यकाल:

- न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, और इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित 'दुर्व्यवहार या अक्षमता' के सिद्ध आधार पर महाभियोग आवश्यक है, जो एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है।

3. वेतन और भत्तों की सुरक्षा:

- न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं (राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जाता), जिससे वित्तीय मामलों के माध्यम से कार्यपालिका का उन पर दबाव नहीं बन पाता।

4. कार्यकाल में अलाभकारी परिवर्तन का निषेध:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकारों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता (सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान), जिससे उनकी सेवा शर्तों की सुरक्षा होती है।

5. आचरण पर चर्चा का निषेध:

- संसद या राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय महाभियोग की कार्यवाही के दौरान। यह प्रावधान उन्हें राजनीतिक आलोचना से बचाता है।

6. सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध:

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने से प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रावधान उन्हें भविष्य के लाभ की आशा में पक्षपात करने से रोकता है।

7. न्यायिक अवमानना की शक्ति:

- न्यायालयों के पास अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति है। यह न्यायालयों के निर्णयों और प्राधिकार की रक्षा करता है।

8. अपनी स्टाफ की नियुक्ति का अधिकार:

- सर्वोच्च न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है और अपनी प्रशासनिक व्यय भी स्वयं निर्धारित करता है।

निष्कर्ष: ये संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त संस्था के रूप में कार्य कर सके। यह स्वतंत्रता ही न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम व्याख्याकार और लोकतंत्र का प्रहरी बनाती है।

7. 'भारतीय संघवाद' की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। क्या भारत एक 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) का उदाहरण है?

'संघवाद' (Federalism) का अर्थ है शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें शक्ति का विभाजन एक केंद्रीय प्राधिकरण (संघ) और विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों (राज्यों) के बीच किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में भारत को "राज्यों का संघ" (Union of States) घोषित किया गया है।

भारतीय संघवाद की प्रकृति का विश्लेषण:

भारतीय संघवाद की प्रकृति अद्वितीय है। यह कठोर संघवाद (जैसे अमेरिका) और पूर्ण एकात्मकता (जैसे ब्रिटेन) के बीच का मार्ग है। के.सी. व्हेयर ने इसे 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) तथा ग्रानविल ऑस्टिन ने इसे 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) कहा है।

संघीय विशेषताएँ (Federal Features):

1. दोहरी सरकार और शक्ति विभाजन: केंद्र और राज्यों में अलग-अलग सरकारें हैं, और शक्तियों को तीन सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में विभाजित किया गया है।
2. लिखित और कठोर संविधान: यह शक्तियों के विभाजन को सुनिश्चित करता है।
3. स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका संघ और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करती है।

एकात्मकता की ओर झुकाव (Unitary Bias):

1. एकल नागरिकता: नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त है, न कि दोहरी नागरिकता।
2. केंद्र का शक्तिशाली होना: संघ सूची में अधिक विषय हैं और समवर्ती सूची पर केंद्र का वर्चस्व है।
3. राज्यपाल का पद: राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जिससे राज्यों की स्वायत्तता सीमित होती है।
4. आपातकालीन प्रावधान: आपातकाल के दौरान संघीय ढाँचा पूरी तरह से एकात्मक रूप ले लेता है।
5. अखिल भारतीय सेवाएँ: IAS, IPS जैसी सेवाएँ केंद्र और राज्यों में समान रूप से कार्य करती हैं, जिन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है।

क्या भारत एक 'सहकारी संघवाद' का उदाहरण है?

हाँ, यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति सहकारी संघवाद की ओर झुकी हुई है, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के युग में और हाल के वर्षों में:

- परिभाषा: सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में संप्रभु होने के बजाय, एक-दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय करते हुए राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं।
- योजना आयोग/नीति आयोग: पहले योजना आयोग और अब नीति आयोग केंद्र और राज्यों को राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में भागीदार बनाता है।
- अंतर्राज्यीय परिषद्: अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर्राज्यीय परिषद् राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय का एक संस्थागत मंच है।
- जीएसटी परिषद्: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद् ने केंद्र और राज्यों को वित्तीय निर्णय लेने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया है, जो सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है।

निष्कर्ष: भारतीय संघवाद की प्रकृति 'सहकारी संघवाद' की है, जिसे मजबूत एकात्मक आधार प्राप्त है। यह व्यवस्था विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक संतुलन प्रदान करती है।

8. भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका और उनके समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए।

राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र के प्राण होते हैं। ये नागरिकों और सरकार के बीच एक आवश्यक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जहाँ राष्ट्रीय दलों (जैसे INC, BJP) और क्षेत्रीय दलों का महत्वपूर्ण स्थान है।

भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका:

1. शासन का संचालन: जिस दल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलता है, वह सरकार बनाता है और शासन का संचालन करता है।
2. नीति निर्माण: राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों के आधार पर देश के लिए नीतियों और कानूनों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
3. विपक्ष की भूमिका: हारने वाला दल सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाता है। यह सरकार की आलोचना करता है, उसकी विफलताओं को उजागर करता है, और वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करके सरकार को निरंकुश होने से रोकता है।
4. जनमत का निर्माण: दल विभिन्न मुद्दों पर बहस और प्रचार करके लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते हैं और जनमत को प्रभावित करते हैं।
5. राजनीतिक शिक्षा: दल जनता को चुनावी प्रक्रिया, सरकारी नीतियों और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाते हैं।

राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

1. आंतरिक लोकतंत्र का अभाव (Lack of Internal Democracy): अधिकांश दलों में सत्ता कुछ शीर्ष नेताओं या एक परिवार के हाथ में केंद्रित रहती है। सदस्यों को पर्याप्त रूप से चुनाव या नीति निर्माण में भागीदारी नहीं मिलती, जिससे

वंशवाद (Dynastic Succession) को बढ़ावा मिलता है।

2. वंशवाद और व्यक्ति-पूजा: कई बड़े दल किसी एक परिवार या करिश्माई नेता पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, जिससे दल के भीतर योग्य और नए नेतृत्व का विकास बाधित होता है।
3. धन और बाहुबल का प्रभाव: चुनाव लड़ने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जिससे राजनीति में काले धन का प्रभाव बढ़ता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश (बाहुबल) लोकतंत्र की गुणवत्ता को कमजोर करता है।
4. दल-बदल की समस्या: सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और मतदाताओं का विश्वास टूटता है।
5. क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता: दल अक्सर राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय, जातीय या धार्मिक भावनाओं का दोहन करके वोट बटोरने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज में विभाजन और तनाव बढ़ता है।

निष्कर्ष: राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता उनकी आंतरिक संरचना और शुचिता पर निर्भर करती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनावी सुधार, दलों में आंतरिक लोकतंत्र और धन के उपयोग पर नियंत्रण आवश्यक है।

9. 'क्षेत्रवाद' (Regionalism) भारतीय राजनीति के लिए एक वरदान है या अभिशाप? आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।

'क्षेत्रवाद' का तात्पर्य एक विशेष भौगोलिक, भाषाई या सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों की अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव और उस क्षेत्र के हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखने की प्रवृत्ति से है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रवाद एक स्वाभाविक राजनीतिक और सामाजिक घटना है।

क्षेत्रवाद एक 'वरदान' (सकारात्मक पहलू):

1. विविधता का संरक्षण: क्षेत्रवाद विभिन्न स्थानीय भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को संरक्षित करने में मदद करता है। यह राष्ट्रीय संस्कृति को समृद्ध बनाता है।
2. सहकारी संघवाद को बढ़ावा: क्षेत्रीय दल अपने राज्यों के हितों की पुरजोर वकालत करके केंद्र सरकार को राज्यों की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे सहकारी संघवाद मजबूत होता है।
3. विकास का संतुलन: क्षेत्रवाद पिछड़े या उपेक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए आवाज उठाता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं और संतुलित विकास होता है।
4. स्थानीय समस्याओं पर ध्यान: यह स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं (जैसे पानी की कमी, बेरोजगारी) पर राष्ट्रीय बहस का ध्यान केंद्रित करता है।

क्षेत्रवाद एक 'अभिशाप' (नकारात्मक पहलू):

1. राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा: अत्यधिक और उग्र क्षेत्रवाद राष्ट्रीय हितों और एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, जैसा कि पृथक राज्यों की मांगों (जैसे खालिस्तान आंदोलन) में देखा गया।
2. आर्थिक असमानता: कुछ क्षेत्रों द्वारा अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण की माँग (जैसे 'भूमि के पुत्र' का सिद्धांत) राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में बाधा डालती है और पूंजी के मुक्त प्रवाह को रोकती है।
3. अंतर्राज्यीय विवाद: क्षेत्रवाद के कारण विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद, नदी जल विवाद और भाषाई विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे राज्यों के आपसी संबंध तनावपूर्ण होते हैं।
4. अस्थिर राजनीति: क्षेत्रीय दलों का उदय गठबंधन सरकारों को जन्म देता है, जो अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर नीतिगत निर्णयों का कारण बन सकती हैं।

आलोचनात्मक विवेचन:

क्षेत्रवाद की प्रकृति द्विपक्षीय है। यह स्वयं में बुरा या अच्छा नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस हद तक और किस उद्देश्य के लिए बढ़ावा दिया जाता है। "जब तक क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक और सकारात्मक

है, तब तक यह वरदान है।" यह विविधता को बनाए रखता है। "लेकिन जब यह अलगाववादी या विनाशकारी हो जाता है, राष्ट्रीय एकता को तोड़ता है, और दूसरे क्षेत्रों के प्रति द्वेष फैलाता है, तब यह अभिशाप बन जाता है।"

निष्कर्ष: भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक देश में क्षेत्रवाद को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, न ही किया जाना चाहिए। चुनौती इसे राष्ट्रीय लक्ष्यों और एकता की भावना के भीतर समाहित करने की है। रचनात्मक क्षेत्रवाद भारतीय लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और प्रतिनिधि बनाता है।

10. 'पंचायती राज व्यवस्था' के प्रमुख उद्देश्यों और संरचना पर प्रकाश डालिए।

'पंचायती राज व्यवस्था' भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (Rural Local Self-Government) की संस्था है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिससे यह एक अनिवार्य संस्था बन गई।

पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य:

1. **लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण (Decentralization of Democracy):** इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता को केंद्र और राज्य से हटाकर ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना है, जिसे 'जमीनी स्तर पर लोकतंत्र' (Grass-root Democracy) कहा जाता है।
2. **जनभागीदारी सुनिश्चित करना:** यह स्थानीय लोगों को अपने विकास की योजनाओं को स्वयं बनाने और लागू करने में सीधे भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
3. **सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास:** पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और स्थानीय आर्थिक विकास की योजनाएँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।
4. **स्थानीय नेतृत्व का विकास:** यह ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण और नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करता है।
5. **उत्तरदायित्व का विकास:** स्थानीय समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपकर उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था की संरचना:

73वें संशोधन अधिनियम ने सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना (Three-Tier System) को अनिवार्य कर दिया, सिवाय उन राज्यों के जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है:

1. **ग्राम स्तर: ग्राम पंचायत (Village Panchayat):**
 - यह सबसे निचला स्तर है, जो सीधे ग्रामीणों द्वारा चुना जाता है।
 - मुखिया या सरपंच इसका प्रमुख होता है। यह गाँव के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
2. **मध्यवर्ती स्तर: पंचायत समिति या ब्लॉक समिति (Block Samiti):**
 - यह ब्लॉक (खंड) स्तर पर होती है, जो कई ग्राम पंचायतों को जोड़ती है।
 - यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है और ग्राम पंचायतों की योजनाओं का समन्वय करती है।
3. **जिला स्तर: जिला परिषद या जिला पंचायत (Zila Parishad):**
 - यह सर्वोच्च स्तर है, जो जिले के स्तर पर कार्य करता है।
 - यह जिले की विकास योजनाओं को तैयार करता है, पंचायत समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है और केंद्र/राज्य सरकार तथा ब्लॉक समितियों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

अन्य अनिवार्य प्रावधान:

- सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं (कम से कम 1/3 आरक्षण) के लिए सीटों का आरक्षण।
- निश्चित कार्यकाल (5 वर्ष) और समय पर चुनाव कराना (भंग होने पर 6 माह के भीतर)।